मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

लीलूराम बनाम शिशपाल आदि

दावा बाबत :– 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :– 95/2021

निर्णय दिनांक :– 07.12.2021

वादी की ओर से वकील लाधूराम टांपला की व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 की ओर से वकील जयवीर सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.12.21 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा घेऊ के खाता संख्या 381/365 के खसरा संख्या 9 की 5.2860 बारानी 1, खसरा न. 107/2 की 1.2650 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा न. 420/3 की 1.3910 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा न. 422/1 की 1.9850 हैक्टेयर बारानी 1, कुल खसरे 4 कुल रकबा 9.9270 हैक्टेयर बारानी 1 कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 शिशपाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। मे से प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल के बजाए वादी लिलुराम को 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 रणमचन्द को 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल को 1/5 हिस्सा के काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि यदि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा को डिक्री का भाग पढ़ा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प ....